

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/4173

दिनांक 05/12/2025

उन्वानी प्रकरण राजस्थान वनाम् भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 288/2025

-: दुर्रस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयवस्तु लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
17/भू.अ./2025 दिनांक 03/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम बाबराय पटवार हत्का बाबराय
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में नुमे खता संख्या 115/143 में खातेदार राज
राज के स्थान पर राजेश कुमार उर्फ राज पुत्र का
नाम दुर्रस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हत्का बाबराय
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुर्रस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/4174-75

दिनांक 05/12/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हत्का बाबराय तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)



